संख्या: 02/2018/254/37-3-2018-2(3)/2017

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन एवं विकास),
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-3 **लखनऊ::दिनांक 22 मार्च, 2018**

विषय:वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 द्वारा फार्मासिस्ट संवर्ग के संबंध में की गयी पूर्व संस्तुतियों पर विचार करते हुए दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-535/स्था0-2/1-ख/13(1569) /पुनर्गठन, दिनांक 21-09-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-404/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 18-03-2011 द्वारा वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 द्वारा फार्मासिस्ट संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर विचार करते हुए पशुपालन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत वेटनरी फार्मासिस्ट संवर्ग में उपलब्ध/सृजित पदों के अन्तर्गत कुल 2031 पदों (फार्मासिस्ट-1982+ चीफ फार्मासिस्ट-49) में से फार्मासिस्ट के 1982 पदों में से 23 पदों को समाप्त/कम करते हुये प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) के 23 नये पदों को सृजित करते हुए त्रिस्तरीय संवर्गीय ढांचे को निम्नलिखित तालिका के अनुसार पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) (रू0 में)	पदों की संख्या	भर्ती की प्रक्रिया /अर्हता
1	2	3	4	5
1.	फार्मासिस्ट	रू0 4500-7000 (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800)* (02 वर्ष की सेवा के पश्चात नान फंक्शनल वेतनमान रू0 5000-8000 वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200) देय होगा।	1959	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती। अर्हता-इण्टरमीडिएट (गणित या बायोलाजी ग्रुप) तथा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त 02 वर्ष 03 माह की अवधि का फार्मेसी में डिप्लोमा एवं स्टेट फार्मेसी कौन्सिल, उ0प्र0 में पंजीकृत।
2.	चीफ फार्मासिस्ट	रू0 6500-10500 (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600)	49	फार्मासिस्ट (नान फंक्शनल वेतनमान की सेवा सहित) के पद पर आठ वर्ष की सेवा वाले पदधारकों में से शत-प्रतिशत पदोन्नति।
3.	प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी)	रू0 7500-12000 (सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800)	23 नये पद	चीफ फार्मासिस्ट के ऐसे पदधारकों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने फार्मासिस्ट (नान फंक्शनल वेतनमान की सेवा सहित) तथा चीफ फार्मासिस्ट के पदों पर कुल सोलह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
		योग	2,031	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2* फार्मासिस्ट के वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/- में 02 वर्ष की सेवा के पश्चात नान फंक्शनल वेतनमान रू0 5000-8000/- वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- होगा।

3- चूंकि प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) के पद वर्तमान में सृजित किये जा रहे हैं। इसलिए संवर्ग पुर्नगठन की व्यवस्था प्रश्नगत शासनादेश निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

4- प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) के पद सृजन के बावजूद वेटनरी फार्मासिस्ट के संवर्ग की संख्या 2031 पद की ही होगी क्योंकि प्रश्नगत पदों का सृजन फार्मासिस्ट के 23 पदों को समाप्त/कम करते हुए किया जा रहा है।

5- प्रश्नगत संवर्ग पुनर्गठन का समावेश संबंधित सेवानियमावली में कर लिया जायेगा।

6- प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही वेटनरी फार्मासिस्ट सेवानियमावली, 2018 के प्रख्यापन के बाद प्रारम्भ की जायेगी।

7- प्रश्नगत संवर्ग के संबंध में ए0सी0पी0 की व्यवस्था वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम) /2008, दिनांक 05-11-2014 एवं शासनादेश संख्या-08/2015-वे0आ0-2-190/दस-62(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 03 मार्च, 2015 में निहित प्राविधानो के अधीन होगी।

8- प्रकरण से संबंधित वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये अन्य शासनादेशों की शर्तों का भी अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-यू0ओ0-ई-2-310/दस-2018, दिनांक 19-03-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 02/2018/254(1)/37-3-2018, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
7- समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग उ0प्र0।
8- पशुधन अनुभाग-1/2
9- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रघुवीर प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।